



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 01, 2014/पौष 11, 1935

No. 03]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 01, 2014/PAUSHA 11, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013

विषय :-दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण हेतु विनियम  
(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

**का.आ. 03(अ).**—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली में फार्म हाउसों, जिन्हें अधिसूचना कानूनी आदेश सं. 2622(अ), दिनांक 30-10-2012 द्वारा अधिसूचित किया गया था, के नियमन हेतु विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है।

संशोधन

खण्ड 1.1 (i) एवं (ii) निम्न प्रकार संशोधित किए गए हैं :-

- (i) क्षेत्रीय पार्कों में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए फार्म हाउसों से अलग अधिसूचित वन अथवा क्षेत्रीय पार्क क्षेत्र में आने वाले फार्म हाउस इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की शर्त के अधीन ।
- (ii) क्षेत्रीय विकास योजनाओं में अनुमोदित एवं अधिसूचित आधारीक संरचना के मार्गाधिकार के क्षेत्र में जैसे विद्यमान/प्रस्तावित रेलवे लाइन/मुख्य योजना सड़कों, प्रमुख बड़ी जलापूर्ति एवं सीवेज लाइनों, उच्च वोल्टता (एच टी) लाइनों (यदि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं), परिवहन एवं माल-भाड़ा कॉरिडोर और अन्य आवश्यक आधारीक-संरचना ।

[फा. सं. एफ. 3(103)96-एम.पी.]

असमा मंजर, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2013

**Sub : Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi**

(Under Section 57 of DD Act, 1957)

**S.O. 03(E).**—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi which were notified *vide* Notification No. S.O. 2622(E), dated 30-10-2012.

**AMENDMENTS**

**Clause 1.1 (i) & (ii)** is amended as follows :—

- (i) Farm houses falling in the notified forest or in the Regional Park area other than farm houses built on privately owned land in Regional Park subject to orders of the Supreme Court of India in this regard.
- (ii) In area of right of way of infrastructure approved and notified in the Zonal Development Plans such as existing/proposed railway line/Master Plan Roads, major trunk water supply and sewage lines, HT lines (If not conforming to provisions of Electricity Act), transport and freight corridor and other essential infrastructure.

[F. No. F. 3(103)96-MP]

ASMA MANZAR, Commissioner-cum-Secy.